09

नामांतरण (दाखिल खारिज) के आवेदन पर कर्मचारी का प्रतिवेदन

09/17-18

नामांतरण (दाखिल खारिज) केस नं0 .....

थाना ..... थाना नं0 196 जिला

(1) लिखे विक्रय, दान बटवारा या उत्तराधिकारी ..... अन्तरित क्षेत्र का रकबा

पूर्णतः या अंशतः ..... सकाया गया मूल्य 3,63000/- केता का पेशा

केवाला संख्या 2900 दिनांक 17.5.16

खाता संख्या	अभिधारी का नाम	प्लॉट नं0	रकबा	लगान और टैक्सियात	अभ्यक्ति
12,15,16 40,44 37,4,7, 8,21	दा0 खता	के पहले	मूल्य	जमाबन्दी	पंजी II के पृष्ठ संख्या 35/II ..... के अनुसार प्रविष्टि
	मेसर्स - [illegible]	49	21.213/5	33.93	(1) खतियानी रैयत का नाम एवं जाति [illegible]
	[illegible]	[illegible]			(2) विक्रेता खतियानी रैयत के कौन होते हैं — विक्रेता के [illegible] को [illegible]
	P.H. 35/65				(3) विक्रेता अपने हिस्से से अधिक जमीन बिक्री किये हैं या नहीं नहीं
					(4) बिक्री के पूर्व उस जमीन पर विक्रेता का दखल कब्जा था या नहीं नहीं
	दे0 खता	के भाग	मूल्य	जमाबन्दी	(5) विक्रेता उस जमीन को किस प्रकार हासिल किये हैं [illegible]
37,4, 7,8,21	नहीं	49	20.83/5	33.73	(6) प्रश्नगत भूमि गै0 खास गै0 आम अतियारी खास भूदान में शोषित है या नहीं नहीं
					(7) प्रश्नगत भूमि भू हदबन्दी से अन्तर्गत आती है या नहीं नहीं
					(8) प्रश्नगत भूमि किस जीरात या आम प्रयोग के जीरात के अन्तर्गत आती है या नहीं नहीं
					(9) प्रश्नगत भूमि किस से लगान बकाश्त में है या नहीं नहीं
37	चकरी [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	जमाबन्दी 49	0.28	0.20	(10) पंजी II पृष्ठ संख्या 35/II में विक्रेता के नाम से चढ़ी चढ़ाई है तथापि अंतरणे पेशा का भुगतान वर्ष 15-16 तक किया गया है ।

अनुशंसा [illegible]

महाशय

आविदित हो कि रैयती [illegible] के [illegible] के [illegible] के नाम [illegible] कार्यालय में विक्री हेतु पत्रांकित है पश्चात् कि क्रय की [illegible] नामांतरण स्वीकृत किया जा सकता है

धन्यवाद